न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 33/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00033)

देवीराम पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी तमरैर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.1.2008 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 11.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 30.1.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार कुम्हेर ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.01 गैर मुमकिन रास्ता वाकै ग्राम तमरैर तहसील कुम्हेर पर जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी मानते हुये निर्णय दिनांक 28.11.2007 से बेदखल कर पेनल्टी से आरोपित किया गया है। अपीलान्ट ने इस आदेश की अपील अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष पेश की गई। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.1.2008 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये तहसीलदार कुम्हेर के आदेश दिनांक 28.11.2007 को यथावत रखा गया। इस आदेश के खिलाफ द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। वकील उभयपक्ष को तलब किया गया। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2008 विधिविरूद्ध तथा तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलान्ट की अपील को खारिज किए जाने में कानूनी भूल की है। विवादित भूमि जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की गई है, वह भूमि पंचायत समिति कुम्हेर के द्वारा सन 1975 में आवास के लिये अपीलान्ट को विधिवत रूप से आवंटित की गई है तथा आवंटन होने के दिन से ही अपीलान्ट विवादित भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग

व उपभोग करता चला आ रहा है। इस तथ्य पर न तो विचारण न्यायालय ने और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करते वक्त भलीभांति अवलोकन किया। तथाकथित रास्ते की भूमि अपीलान्ट की कब्जे की भूमि से अलग है, परन्तु अपीलान्ट की भूमि को रास्ते की भूमि मानकर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया है जो कि विधिविरूद्ध है। विवादित भूमि के पास रास्ते की काफी चौडाई है और रास्ता में कोई अवरोध नहीं है। जिस भूमि के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की गई है वह भूमि अपीलान्ट के आवासीय प्रयोग में आ रही है जो कि आबादी की संज्ञा में आती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 05 (24) में दी गई परिभाषाओं में आबादी भूमि शामिल नहीं है तथा आबादी भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आबादी भूमि ग्राम पंचायत की क्षेत्राधिकारिता में आती है तथा इस तरह की भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अपीलान्ट के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किया हुआ है तथा रैस्पोडेन्ट को पाबन्द किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने पाबन्दी आदेश के बाबजूद अपीलधीन आदेश देने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति का अवलोकन नहीं कराया तथा पटवारी हल्का के बयान भी अभिलेखित नहीं किये गये। सरसरी तौर पर खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इन तथ्यों पर गौर नहीं कर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर हर दो तहत अदालतों के आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 30.1.2008 एवं तहसीलदार कुम्हेर का आदेश दिनांक 28.11.2007 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि दोनों अदालतों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उचित है। विवादित भूमि जिसके संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा कार्यवाही की गई है। उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में न तो ग्राम पंचायत को और न ही पंचायत समिति को पट्टा देने का अधिकार है। मौके पर रास्ता सकड़ा होने व अपीलान्ट की ओर से रास्ते को अवरूद्ध किए जाने के कारण उक्त कार्यवाही पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद की गई है। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने भी उनके समक्ष प्रस्तुत हुई अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया है। जिसमें कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2008 व तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.11.2007 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर द्वारा रास्ते के सकड़े होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई और न ही इस बिन्दु पर गौर किया कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट को पंचायत समिति की ओर से पट्टा जारी किया हुआ है तथा सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। जिसमें रैस्पोडेन्ट को पाबंद किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अदालत मातहतों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2008 व 28.11.2007 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णयों संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की ओर से तहसीलदार कुम्हेर को दिनांक 08.11.2007 को अपीलान्ट के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि खसरा नंबर 1015 रकबा 1.66 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 है0 रकबे में गोत के रूप में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा खसरा परिवर्तनशील की प्रति पेश की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार की ओर से अपीलान्ट को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 23.11.2007 को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने दिनांक 23.11.2007 को उपस्थित होकर इस आशय का जवाब पेश किया गया कि विवादित भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है। खसरा नंबर 1015 पर प्रार्थी का पचासों साल पूर्व से कब्जा चला आ रहा है, जिसमें हरे वृक्ष खड़े हुए हैं तथा उक्त जमीन गैतवाडे के रूप में काम में आ रही है। उक्त जमीन पूर्वजों के समय से ही उपयोग व उपभोग में ली जा रही है, जो कि साविक खसरा नंबर 1161, 1165 व 1166 में है। भूप्रबंध विभाग द्वारा 1015 गलत नंबर बनाया गया है। खसरा नंबर 1015 पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। इस आधार पर नोटिस ड्रॉप करने की इस्तदुआ की गई। अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश होने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.11.2007 को पारित किया गया, जिसमें अपीलान्ट को विवादित खसरा नंबर 1015 रकबा 0.01 है0 पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश के साथ–साथ 50 गुना शास्ती के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नजर नहीं आती है। जहां तक मीमो आफ अपील में वर्णित यह तथ्य कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट को पंचायत समिति की ओर से 1975 में आवास के लिए भूमि आवंटित की गई थी तो प्रथम तो इस तरह का कोई दस्तावेज न तो अदालत मातहत में और न ही अदालत हाजा में अपीलान्ट की ओर से पेश किया गया और द्वितीय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि जिसके संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय के द्वारा कार्यवाही की गई है कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति को पट्टा दिए जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा रैस्पोडेन्ट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है तो प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर में अपीलान्ट की ओर से सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट तहसीलदार कुम्हेर न तो पक्षकार है और न ही उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद ही किया हुआ है। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि सिविल न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने तथा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बाबजूद अपीलान्ट के विरूद्ध गलत कार्यवाही की गई है, सारहीन हो जाता है। इसी तरह वकील अपीलान्ट द्वारा मीमो आफ अपील में यह उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट वर्षों से काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है जबकि अदालत मातहत में प्रस्तुत नोटिस जवाब में विवादित भूमि को गैतवाड़े के रूप में उपयोग में लिया जाना बताया गया है। उक्त प्रकरण में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने उनके समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील व बहस में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए स्पीकिंग व स्पष्ट निर्णय पारित किया है। जिसमें यह माना है कि विवादित भूमि जिस पर अपीलान्ट की ओर से अतिक्रमण किया गया है, वह भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। सिविल न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति भी प्रस्तुत नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत की गई कार्यवाही को उचित माना है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नजर नहीं आती है। इसी प्रकार तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। उक्त कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया गया है। हम अपीलीय न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में वर्णित इस अभिमत से सहमत हैं कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। चूंकि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है तथा उक्त भूमि में आवास हेतु पट्टा दिए जाने का कोई रिकार्ड अपीलान्ट की ओर से न तो दोनों मातहत अदालतों में पेश किया गया और न ही अदालत हाजा में ही पेश किया गया। सिविल न्यायालय में जो प्रकरण लम्बित है वो भी दो पक्षकारान के बीच में है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त

तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2007 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2008 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नजर नही आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2007 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2008 यथावत रखा जाता है। अपीलान्ट के विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर द्वारा की गई कार्यवाही उचित है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सॉवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर